



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 277]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 2 सितम्बर 2020—भाद्र 11, शक 1942

#### लोक सेवा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 सितम्बर 2020

क्र.एफ 2-6-लोसेप्र-इक्सठ-1-पी.एस.जी.-09.— मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 के तहत खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ-2-13-2012-इक्सठ-लोसेप्र-पीएसजी-09, दिनांक 07 जून 2017 में अधिसूचित सेवा क्र. 9.11— पेट्रोल, डीजल विक्रय एवं भण्डारण हेतु नवीन अनुज्ञाप्ति जारी करना एवं 9.12 — पेट्रोल, डीजल विक्रय एवं भण्डारण हेतु नवीन अनुज्ञाप्ति नवीनीकरण को विलोपित करते हुए मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिये निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील अधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात :—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की सेवा

सेवा क्र.	सेवाएँ	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गयी समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6	7
9.13	केरोसिन के थोक विक्रेता एवं अर्द्ध थोक विक्रेता की अनुज्ञाप्ति जारी करना	कलेक्टर	आवेदन प्राप्ति की दिनांक से 15,कोर्ट दिवस	संभागीय आयुक्त	15 कार्य दिवस	अपर मुख्य सचिव/प्रागुख सचिव/ सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

9.14	केरोसिन थोक विक्रेता एवं अर्द्ध थोक विक्रेता की अनुशास्ति का नवीनीकरण करना	जिला आपूर्ति नियंत्रक/ अधिकारी	आवेदन प्राप्ति की दिनांक से 15 कार्य दिवस	कलेक्टर	15 कार्य दिवस	संभागीय आयुक्त
9.15 ✓	नाष्ठा व्यापारी को नाष्ठा के विक्रय हेतु अनुशास्ति जारी करना	कलेक्टर	आवेदन प्राप्ति की दिनांक से 15 कार्य दिवस	संभागीय आयुक्त	15 कार्य दिवस	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
9.16	नाष्ठा व्यापारी को नाष्ठा के विक्रय हेतु अनुशास्ति का नवीनीकरण करना	कलेक्टर	आवेदन प्राप्ति की दिनांक से 15 कार्य दिवस	संभागीय आयुक्त	15 कार्य दिवस	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
9.17	विलायक, रेफिनेट एवं स्लॉप के व्यापारी को अनुशास्ति जारी करना	कलेक्टर	आवेदन प्राप्ति की दिनांक से 15 कार्य दिवस	संभागीय आयुक्त	15 कार्य दिवस	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
9.18	विलायक, रेफिनेट एवं स्लॉप के व्यापारी को अनुशास्ति का नवीनीकरण करना	कलेक्टर	आवेदन प्राप्ति की दिनांक से 15 कार्य दिवस	संभागीय आयुक्त	15 कार्य दिवस	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
9.19	उचित दुकान मूल्य का आवंटन	1. जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र के जिला आपूर्ति नियंत्रक/ अधिकारी 2. जिला मुख्यालय को छोड़कर अन्य क्षेत्र के लिए संबंधित अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	दुकान के आवंटन हेतु प्रसारित विज्ञाप्ति अनुसार अंतिम दिन से 15 कार्य	कलेक्टर	15 कार्य दिवस	संभागीय आयुक्त

9.20	उचित मूल्य का दुकान का नवीनीकरण	1. जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र के जिला आपूर्ति नियंत्रक/ अधिकारी 2. जिला मुख्यालय को छोड़कर अन्य क्षेत्र के लिए संबंधित अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	दुकान के आवंटन हेतु प्रसारित विशेष अनुसार अंतिम दिन से 15 कार्य	कलेक्टर	15 कार्य दिवस	संभागीय आयुक्त
------	---------------------------------	--	---	---------	---------------	----------------

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मनीष रस्तोगी, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 सितम्बर 2020

क्र.एफ-02-07-लोसेpr-इकसठ-1-पी.एस.जी.-41.- मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थातः :-

**मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत स्कूल शिक्षा विभाग की सेवा**

सेवा क्र.	सेवाएँ	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गयी समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6	7
41.5	कक्षा 1 से 8 तक अशासकीय स्कूलों की नवीन मान्यता / मान्यता नवीनीकरण की प्रक्रिया	जिला शिक्षा अधिकारी	45 कार्य दिवस	जिला कलेक्टर	45 कार्य दिवस	आयुक्त, राज्य शिक्षा केंद्र

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मनीष रस्तोगी, प्रमुख सचिव.